रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2000/चैत्र 28, 1922
No. 218] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2000/CHAITRA 28, 1922

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2000

सा.का.नि. 336 (अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खंड/ राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थाई पुलों/ अस्थाई पुलों के उपयोग के लिए शुल्क वसूल करना) नियम, 1997 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खंड/ राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थाई पुलों/ अस्थाई पुलों के उपयोग के लिए शुल्क वसूल करना) संशोधन नियम, 2000 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खंड/ राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थाई पुलों/ अस्थाई पुलों के उपयोग के लिए शुल्क वसूल करना) नियम, 1997 में,--

(क) नियम 2 में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(ग) "व्यक्ति" में कोई कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है';

(ख) नियम 3 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4) फीस की दरें, फीस के संदाय से छूट-प्राप्त यानों के प्रवर्ग और उस प्राधिकारी का

नाम, पता और टेलीफोन संख्या जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जाएगी, चुंगी बूथों से 500 मीटर पहले, 100 मीटर पहले और चुंगी बूथों पर भी सहज-दृश्य और सुस्पष्ट रूप से संप्रदर्शित किए जाएंगे, संप्रदर्शन बोर्डों की ऊंचाई और अक्षरों का आकार ऐसा होगा जिससे कि चालक संप्रदर्शन बोर्डों को सुगमता से पढ़ सके। ";

(ग) नियम 5 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) इन नियमों के अधीन फीस का संग्रहण करने और उसे प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति फीस संग्रहण के प्रभारी के रूप में किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट करेगा और वह व्यक्ति और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट अधिकारी भी यह सुनिश्चित करने के लिए दायी होंगे कि फीस करार पाई दरों से अधिक पर संग्रहीत न किया गया हो और सड़क प्रयोक्ताओं के लिए असम्यक् कठिनाई कारित किए बिना फीस संग्रहण सहज हो तथा वे राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, स्थाई पुलों / अस्थाई पुलों पर फीस संग्रहण से संबंधित सभी अन्य मामलों के लिए भी दायी होंगे :

परंतु निम्नलिखित यानों के संबंध में कोई फीस संदेय नहीं होगी या संग्रहीत नहीं की जाएगी, अर्थात् :-

(i) ऐसी यान जिन पर "अति विशिष्ट व्यक्ति" प्रतीक हो या जो भारत के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति, केंद्रीय और राज्यमंत्रियों, लोक सभा / राज्य सभा / राज्य विधान मंडल में विरोधी पक्ष के ऐसे नेता जिन्हें मंत्रिमंडल सदस्य की प्रास्थिति प्राप्त हो, राज्यपाल / उप राज्यपाल / कार्यकारी पार्षद्, केंद्रीय और राज्य विधान मंडलों के स्पीकर / अध्यक्ष, संसद् के सदस्य और राज्य विधान सभाओं / परिषदों के सदस्य, अपने-अपने निर्वाचन-क्षेत्रों के भीतर, विदेशी उच्च पदस्थ जो भारत में स्टेट विजिट पर हों, ऐसे विदेशी राजनयज्ञ जो भारत में रह रहे हैं जो ऐसी कारों का उपयोग कर रहे हैं जिनमें सी.डी. प्रतीक है, के यान हो ।

(ii) रक्षा यान, पुलिस यान, अग्नि-शमन यान, एंबुलेंस, अंत्येष्टि वैन, डाक और तार विभाग यान और केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार के कर्तव्य पर यान ।"।

प्रफुल्ल कुमार, महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3(i) में सा.का.नि. 62 (अ) दिनांक 6-2-1997 द्वारा प्रकाशित की गई ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2000

G.S.R. 336(E).— In exercise of the powers conferred by section 9 read with section 8A, of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central

Government hereby makes the following rules to amend the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of Section of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules, 1997, namely:-

1 (1) These rules may be called the National Highways(Collection of Fees by any person for the use of Section of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Amendment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of Section of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules, 1997 -

(a) in rule 2, after clause (b) the following clause shall be inserted, namely:-

'(c) "person" shall include any company or association or body of individuals whether incorporated or not';

(b) in rule 3, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) The rates of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of the authority to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500m ahead of the toll booths, 100m ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards";

(c) in rule 5, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

'(1) The person authorised to collect and retain the fees under these rules shall nominate an official as in-charge of fee collection, and the person as also the official so nominated shall be responsible to ensure that fees are collected at not more than the agreed rates and the fee collection is smooth without causing undue hardship to the road users, and for all other matters connected with the fee collection of section of National Highway/permanent bridge/temporary bridge:

Provided that no fee shall be payable or collected in respect of the following vehicles, namely:-

(i) vehicles having "VIP" symbols or belonging to the President and Vice-President of India, Central and State Ministers, Leaders of Opposition in Lok Sabha/Rajya Sabha/State Legislature having the status of Cabinet Minister, Governors/Lt.Governors/Executive Councillors/Speakers/Chairman of Central and State Legislatures, Members of Parliament and Members of State Legislative

Assemblies/Councils within their respective Constituencies, Foreign Dignitaries on State visit to India, Foreign diplomats stationed in India using cars with "CD" symbols.

(ii) Defence vehicles, Police vehicles, Fire-fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Posts and Telegraph Department vehicles, and Central Government and State Government vehicles on duty'.

PRAFULLA KUMAR, Director General (Road Development) & Addl. Secy.

Foot Note :— The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 (i), Vide No G.S.R. 62 (E) dated 6-2-1997.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054